



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्र सं० 657 -काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-7(2)काविनी/2003 दिनांक 20 मई, 2010

## कार्यालय ज्ञाप

विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ उ०प्र० द्वारा जनरल सेक्रेटरी बी०पी० गुप्ता तथा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के मुख्य अभियन्ता कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ में दायर की गई रिट याचिका सं०-5958(एस०ए०) आफ 1998 एवं सं०-1257(एस०एस०) आफ 1999 (विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ उ०प्र० द्वारा जनरल सेक्रेटरी बी०पी० गुप्ता बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य) तथा रिट पिटीशन सं०-2100 (एस०एस०) आफ 1999 (विनोद कुमार अरोड़ा एवं अन्य चार कर्मचारी बनाम यू०पी०एस०ई०बी० एवं अन्य) एवं सं०-863 (एस०एस०) आफ 2001 (अशोक कुमार शुक्ला एवं 14 अन्य कर्मचारी बनाम सी०एम०डी० उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं अन्य) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.12.2007 के अनुपालन में तथा पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-1150/काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि दिनांक 04.11.2009 जिसके द्वारा आदेश सं०-1992- काविनी/राविप-29-1998 दिनांक 11.12.1998 एवं द्वितीय संशोधन विनियमावली 1998 के क्रियान्वयन के संबंध में जारी अन्य समस्त आदेश निरस्त किये जा चुके हैं, के क्रम में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:-

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली 1970 (प्रथम संशोधन सहित) पुनः दिनांक 01.04.1984 से प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों के समयबद्ध वेतनमान/सेवा नैवृत्तिक लाभ तदनुसार विनियमित होंगे तथा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 07.12.2007 को दिये गये उक्त निर्णयानुसार देय धनराशि पर याचिकाकर्ताओं (Petitioners) को 10 प्रतिशत वार्षिक व्याज अनुमन्य होगा।

पिटीशनर्स को रु. 5000/- प्रतिसेट रिट पिटीशन के हिसाब से कॉस्ट (Cost) भी अनुमन्य होगी।

## अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं०- 657 (1)काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि सं०-424-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10 दिनांक 09.04.2010 के अनुक्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

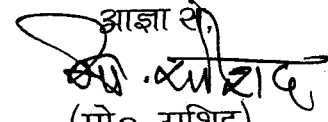
- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 3- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(कमशः...

- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशकगण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पा०का०लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 12- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- समस्त अधिकारी/अनुभाग उ०प्र० पा०का०लि०(मु०) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 15- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

(4)

५०५

आज्ञा से,  
  
 (मो० राशिद)  
 सलाहकार (काविनी)